प्रकरण संख्या 4/2021 श्यामलाल बनाम भंवरलाल

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.11.2022	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुए। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि हाल अपीलान्ट ने अधिनस्थ न्यायालय में एक वाद बाबत् घोषणा, विभाजन, स्वंतंत्र अंकन एवं स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम भावा में आराजी नंबर 1984/892 रकबा 5 बीघा 1 बिस्वा भूमि स्थित है। उक्त भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पिता डालचन्द जी प्रतिवादी संख्या 2 को नसबन्दी कराने की एवज में भूमि आवंटन करने के प्रावधान के चलते भूमि परिवार के बालिग सदस्यों के नाम आवंटन का आवेदन करना था, किन्तु उस वक्त वादी की उम्र 21 वर्ष से कम होने से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम आवेदन किया गया, जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम आवंटन पत्र जारी कर दिया गया, जबकि पूरे परिवार की सहमति से आवेदन प्रस्तुत किया गया था। इसलिए वादी भी उक्त भूमि में 1/2 हिस्से का अधिकारी है। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी के 1/2 हिस्से खातेदार घोषित किया जाकर मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे। उक्त वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादी संख्या 1 ने आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी इस प्रकरण में टीनेन्ट की परिभाषा में नहीं आता है, इसलिए उसे वाद लाने का ही अधिकार नहीं है। अतः वादी का वाद चलने योग्य नहीं होने से खारिज किया जावे। अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त आवेदन पर उभयपक्षों की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 25.01.2021 से प्रतिवादी संख्या 1 का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा.दी. स्वीकार कर वादी का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादी द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से वकील श्री डी. एस. कर्णावत उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए कहा कि अधिनस्थ न्यायालय ने कानून की मंशा को समझे बिना निर्णय पारित किया है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी संख्या 1 ने ऐसा कोई आधार नहीं बताया, जिससे वाद प्रारंभिक स्टेज पर खारिज योग्य हो, फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने वाद आदेश 7 नियम 11 जा.	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.12.19 16:16:16 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण संख्या 4/2021 श्यामलाल बनाम भंवरलाल

दी. के आधार पर खारिज कर दिया, जो न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे तथा प्रकरण तनकियात कायम कर नियमानुसार साक्ष्य लेकर निर्णय पारित करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे। अपने कथन के समर्थन में **DNJ 2019(Rev.) पेज 189** प्रस्तुत की।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को विधि सम्मत बताते हुए अपील खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया तो पाया कि अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध आवंटन प्रार्थना पत्र पर पटवारी हल्का ने टिप्पणी अंकित की है **कि "प्रार्थी के पिता ने नसबन्दी करा ली है।"** उक्त अंकन से प्रकट होता है कि प्रतिवादी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 को उक्त भूमि उसके पिता द्वारा नसबन्दी कराने की एवज में मिली है एवं अपीलान्ट/वादी ने अपने वाद में स्पष्ट अंकन किया है कि वक्त आवंटन वादी नाबालिग होने से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम आवंटन उसके पिता द्वारा नसबन्दी कराने की एवज में किया गया है, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। इस संबंध में अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीर **DNJ 2019 (Rev.) पेज 189** के अनुसार **आदेश 7 नियम 11 मे प्रावधित आधारो पर ही वाद खारिज किया जा सकता है ना कि केवल मात्र प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत दरखास्त मे वर्णित तथ्यो को आधार मानकर वाद खारिज नहीं हो सकता**। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय प्रथम दृष्टया न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 25.01.2021 अपास्त किया जाता है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को पुनः इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में प्रतिवादीगण का जवाबदावा लेकर एवं प्लीडिंग्स के आधार पर तनकियात कायम कर तथा उस पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर एवं सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर निर्णय पारित करें। पक्षकारान अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 30.01.2023 को उपस्थित रहें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 30.11.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.12.19 16:16:16 IST
Reason: SelfAttested

(अनीता मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर